

## प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल, कुल 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु स्वीकृति शासनादेश संख्या 312/111(2)/09-6 (मु०मं०घो०)/08 दिनांक 2.3.2009 कि०मी० 3.00 लम्बाई हेतु लागत रू० 110.25 लाख प्राप्त हुई हैं।

प्रस्तावित मोटर मार्ग गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के कि०मी० 24.500 से प्रारम्भ हो कर धनपुर तक 27.500 कि०मी० लम्बाई में प्रस्तावित हैं। इनका समग्र विकास होगा तथा ग्रामीणों को अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम वनपंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 1-वन पंचायत भूमि 3.00 कि०मी० x 7मी० | = | 2.100 हे० |
| 2-मक डिस्पोजल हेतु                  | = | 0.130 हे० |
| योग                                 | = | 2.230 हे० |

अतः मार्ग निर्माण हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल कुल 2.230 हे० भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।



अमीन



कनिष्ठा अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर



सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर



अधिशारी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर